(17)

403

1/189/2017

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0—2—17
कमांक—189 / 2017
आरबीई सं0—114 / 2017
सं0 ई / 227 / 2 / भाग—15 / चार

दिनांक 13—09—2017

सचिव / महाप्रबन्धक
सचिव / अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी / स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:—रेलों में रोजगार के उद्देश्य से भारत में विभिन्न विद्यालय शिक्षा बोर्डो द्वारा प्रदान किये गये प्रमाण पत्रों / शैक्षणिक अर्हताओं की स्वीकृति।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)—II / 2007 / आरआर—1 / 38 (3000863) दिनांक 31.08.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

बोर्ड का संदर्भित पत्र दिनांक 15.07.2014(आरबीईसं0 75 / 2014) एवं दिनांक 26.03.2015 (आरबीईसं0 29 / 2015) इस कार्यालय के परिपत्र सं0 ई / 227 / 2 / भाग—14 / चार क्रमश: दिनांक 05.09.2014 (क्रमांग 150 / 14) एवं दिनांक 01.05.2015 (क्रमांक 46 / 2015) द्वारा पूर्व में परिचालित किया जा चुका है।

संलग्नक / यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि / अराज.
कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महामंत्री / एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन / गोरखपुर — 40 प्रतियों में।
2— महामंत्री / प्रमोटी अधिकारी संघ / पूउरे / गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
3— महामंत्री / रेसुब एशोसियेशन / पूउरे / गोरखपुर — 02 प्रतियों में।
4— पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ / गोरखपुर — 01 प्रति में।
5— महामंत्री / एससी / एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन / गोर0—02 प्रतियों में।
6— मुकार्याधी / एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु — 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक / कार्मिक

R-231

12 2/189/2017

Ll. circulate 06.09.17 08/09/17

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

NER

RBE No.114/2017

No. E (NG)-II/2007/RR-1/38 (3000863) New Delhi, Dated:31/08/2017.

The General Manager (P),
All Zonal Railways/Production Units,
(As per standard mailing list).

Sub: Acceptance of certificates/qualifications awarded by various Boards of School Education in India for the purpose of employment on the railways.

122

Attention is invited to Board's instructions contained in RBE NO.75/2014 dated 15.07.2014 and RBE No.29/2015 dated 26.03.2015 on the above subject, inter-alia stating that the official website of COBSE be referred for list of Boards of School education for Member Boards as well as Associate Member Boards.

2. Clarification has now been received from Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development (MHRD) vide their OM No.10-1/2017 Sch-3 dated 25.04.2017, stating that Council of Boards of School Education in India (COBSE) is a private organization and its membership is voluntary and COBSE has not been established by that Ministry. Moreover, the membership of COBSE does not automatically grant the status of recognized Board upon any member Board. Further, MHRD neither regulates setting up of Education Boards nor does it give recognition to Education Boards except two national level education boards, viz., CBSE and NIOS.

3. Accordingly, the matter has been examined in this Ministry and it has been decided by the Board to withdraw instructions dated 15.07.2014 under RBE No.75/2014 and dated 26.03.2015 under RBE No.29/2015. **Further, for genuineness of various School Boards, State Governments concerned may be approached on whose authority they claim to be genuine.**

3. Cases already decided need not be reopened.

4. Please acknowledge receipt.

(Neeraj Kumar)
Director Estt. (N)-II
Railway Board.

8/9/17

11.9.17

.....2/-

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

3
18/9/2017

आरबीई सं. 114/2017

नई दिल्ली, दिनांक 31/08/2017

सं. ई(एनजी)-II/2007/आरआर-1/38(3000863)

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक-सूची के अनुसार)

विषय: रेलों में रोजगार के उद्देश्य से भारत में विभिन्न विद्यालय शिक्षा बोर्डों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्रों/शैक्षणिक अर्हताओं की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 15.07.2014 के आरबीई सं. 75/2014 और दिनांक 26.03.2015 के आरबीई सं. 29/2015 में निहित बोर्ड के अनुदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि सदस्य बोर्डों और सहायक सदस्य बोर्डों के लिए विद्यालय शिक्षा बोर्डों की सूची के लिए सीओबीएसई की सरकारी वेबसाइट देखें।

2. अब विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) से दिनांक 25.04.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 10-1/2017स्कूल-3 के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि काउन्सिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एडुकेशन इन इण्डिया (सीओबीएसई) एक प्राइवेट संगठन है और इसकी सदस्यता स्वैच्छिक हैं और सीओबीएसई को उस मंत्रालय द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, सीओबीएसई की सदस्यता किसी सदस्य बोर्ड को मान्यताप्राप्त बोर्ड का दर्जा स्वत: प्रदान नहीं करता है। इसके अलावा, एमएचआरडी दो राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा बोर्डों अर्थात् सीबीएसई और एनआईओएस को छोड़कर न तो शिक्षा बोर्डों की स्थापना को विनियमित करता है और न ही शिक्षा बोर्डों को मान्यता प्रदान करता है।

3. तदनुसार, इस मंत्रालय में इस मामले की जांच की गई है और बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि आरबीई सं. 75/2014 के तहत दिनांक 15.07.2014 और आरबीई सं. 29/2015 के तहत दिनांक 26.03.2015 के अनुदेशों को वापस लिया जाए। **इसके साथ ही, विभिन्न शिक्षा बोर्डों की यथार्थता के लिए, संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क किया जा सकता है जिसके प्राधिकार पर वह वास्तविक होने का दावा करता है।**

3. जिन मामलों का पहले निर्णय हो चुका है, उन्हें पुन: खोलने की आवश्यकता नहीं है।

4. कृपया पावती दें।

नीरज कुमार

(नीरज कुमार)
निदेशक स्था. (अराजपत्रित)-II
रेलवे बोर्ड